कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेंल- spsrn-up@nic.in

दिनांक -17.07.2026

प्रेस-नोट, जनपद भदोही

पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिनव त्यागी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक भदोही श्री शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण एवं श्री चमन सिंह चावड़ा, क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में भदोही पुलिस की बड़ी सफलता, 22 वर्ष पुराने भूमि विवाद में रची गई सुनियोजित आपराधिक साजिश का पर्दाफाश, फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर एनडीपीएस एक्ट में झूठा फंसाने की साजिश का वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों से हुआ खुलासा, मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 29(1) की बढ़ोत्तरी, गैर-जमानती वारंट जारी किया गया जिसमें 06 महीने से फरार 25000 ईनामिया मुख्य अभियुक्त पंकज उपाध्याय को जनपदीय भदोही पुलिस द्वारा जलगांव (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने में सफतला प्राप्त हुई है।

श्री अभिनव त्यागी ,पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन एवं **श्री शुभम अग्रवाल**,अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण एवं **श्री चमन सिंह,**क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में थाना सुरियावां पर पंजीकृत अभियोग की गहन, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक विवेचना के दौरान एक अत्यंत गंभीर एवं सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है।विवेचना के दौरान संकलित मौखिक,दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक(सीसीटीवी फुटेज) एवं तकनीकी साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुख्य अभियुक्त पंकज उपाध्याय द्वारा अपने सहयोगियों सुनील सरोज, प्रिंस गौतम उर्फ डॉक्टर तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर लगभग 22 वर्ष पुराने भूमि विवाद एवं व्यक्तिगत रंजिश के चलते वादी पक्ष को पहले फर्जी मुकदमों में फंसाने तथा बाद में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत झूठा अभियुक्त बनाकर जेल भेजने की सुनियोजित योजना तैयार की गई थी। मुख्य अभियुक्तों द्वारा लगातार विभिन्न आपराधिक षड्यंत कर के लोगों को फंसा कर गलत फायदा उठाया जा रहा था जिसमें 06 महीने से फरार 25000 ईनामिया मुख्य अभियुक्त पंकज उपाध्याय को जनपदीय भदोही पुलिस द्वारा जलगांव (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने में सफतला प्राप्त हुई है।

पैतृक भूमि कब्जा करना बना आपराधिक षड्यंत्र की मुख्य वजह

◆विवेचना में ज्ञात हुआ कि वादी केवलाशंकर उपाध्याय एवं उनके भाई लक्ष्मीशंकर उपाध्याय का अभियुक्त पंकज उपाध्याय से पैतृक भूमि को कब्जाना चाहता था । अभियुक्त लगातार पैतृक भूमि पर छल-कपट कर कब्जा करने एवं वादी परिवार पर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा।

◆केवलाशंकर उपाध्याय और लक्ष्मीशंकर उपाध्याय अत्यंत गरीब हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर है। केवलाशंकर उपाध्याय का एक लड़का है जो कि मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। केवलाशंकर के भाई लक्ष्मीशंकर की एक

विकलांग पुत्री है। घर में और कोई मजबूत सदस्य नहीं है। पंकज उपाध्याय इन लोगों से दबाव देकर जमीन हड़पना चाहता था एवं काफी समय पूर्व से भी पंकज उपाध्याय व केवलाशंकर के परिवार के बीच तनावपूर्ण माहौल था।

◆उपर्युक्त कारणों से अभियुक्त पंकज उपाध्याय केवलाशंकर उपाध्याय व लक्ष्मीशंकर उपाध्याय से रंजिश रखने लगा। इसी क्रम में अभियुक्त पंकज उपाध्याय ने अपने साथी सुनील सरोज पुत्र राजेश सरोज निवासी ग्राम बिझवनिय थाना उतरांव जनपद प्रयागराज, उसके गांव पूजा सरोज पत्नी अरविन्द सरोज के साथ मिलकर षडयंत्र कर वादी मुकदमा के छोटे भाई लक्ष्मीशंकर उपाध्याय के विरूद्ध मु०अ०सं० 0349/2021 धारा 376/506 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना भदोही जनपद भदोही पर पंजीकृत कराया था। इस मुकदमें में लक्ष्मीशंकर उपाध्याय जिला कारागार ज्ञानपुर में 09 माह तक निरूद्ध रहे। मा०न्या० अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट सं0 01 भदोही ने सत्र परीक्षण संख्या 25 सन् 2022 राज्य अभियोजन बनाम लक्ष्मीशंकर उपाध्याय पुत्र स्व० कालीचरण उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी गणेशरायपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), कोर्ट सं0-1, भदोही ने पाया कि वादिनी मुकदमा तथा पीड़िता का नाम तथा पता ही फर्जी था तथा पीड़िता की आयु के संबंध में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज दाखिल किया गया था जिसके आधार पर मा०न्या० द्वारा लक्ष्मीशंकर उपाध्याय को निर्दोष पाया।

साजिशकर्ताओं के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही

इस फर्जी मुकदमे के तथ्य सामने आने के उपरांत, पीड़ित लक्ष्मी शंकर उपाध्याय द्वारा मु०अ०सं० 64/2025 धारा 195/198/389/418/420/467/469/471/474/120बी भादवि थाना भदोही जनपद भदोही पर पंजीकृत कराया है जिसमें विवेचना के क्रम में साजिशकर्ता महिमा उर्फ पूजा जेल गयी थी,जिसमें पंकज उपाध्याय लगातार फरार चल रहा था।

एनडीपीएस एक्ट में झूठा फंसाने की बनाई गई सुनियोजित योजना

पाक्सो मामले में षडयंत्र रचने के कारण जवाबी मुकदमा दर्ज होने के बाद, बदला लेने और लक्ष्मीशंकर उपाध्याय के परिवार को परेशान करने की नीयत से पंकज उपाध्याय ने सुनील पासी एवं अन्य साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर लक्ष्मीशंकर उपाध्याय को एनडीपीएस में फंसाने के लिए एक योजना तैयार किया गया। इसके लिए प्रयागराज से सहयोगियों को बुलाया गया, अलग-अलग वाहनों की व्यवस्था की गई तथा फर्जी पहचान एवं मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हुए ₹65,000 प्रतिमाह पर गाड़ी बड़े कार्यालय में लगाने का बहाना बनाकर पूरी योजना तैयार की गई। दिनांक 25.12.2025 को योजना के अनुरूप लक्ष्मी शंकर उपाध्याय को अपनी गाड़ी अर्टिगा लेकर वाराणसी के लिए रवाना कराया गया इस गाड़ी का पीछा पंकज उपाध्याय तथा उसके साथियों द्वारा बोलेरों से किया गया तथा षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति लक्ष्मीशंकर की गाड़ी में सिंहपुर नहर पुलिया से बैठा दिया गया जो लक्ष्मीशंकर की गाड़ी के पीछे बैठ गया। गाड़ी में बैठा व्यक्ति लक्ष्मीशंकर से बहाना बनाकर कछवा हाईवे पर उतर गया।

उसके तुरंत बाद ANTF टीम ने मडुआडीह थाने क्षेत्र में लक्ष्मीधर की गाड़ी को धर लिया जिसमें तलाशी लेने पर लगभग 940ग्राम हीरोइन बरामद की गई (जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमत 5 से 7 करोड़ के बीच है) के साथ लक्ष्मीशंकर को गिरफ्तार कर वाराणसी जेल भेजा गया था। इस षडयंत्र की उच्चस्तरीय जांच में लक्ष्मीशंकर निर्दोष पाया गया, जिसमें लक्ष्मीशंकर लगातार 06 महीने जेल रहा।

सीडीआर, मोबाइल लोकेशन एवं सीसीटीवी फुटेज से खुली साजिश की परतें

विवेचना के दौरान मोबाइल फोन की सीडीआर (Call Detail Record), IMEI Analysis, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण कराया गया। जांच में पाया गया कि घटना से कई दिन पूर्व से अभियुक्त लगातार संपर्क में थे तथा घटना वाले दिन भी सभी अभियुक्तों की लोकेशन, आपसी वार्ता एवं गतिविधियां पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप पाई गईं। सीसीटीवी फुटेज में अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त वाहन घटनास्थल की ओर एक साथ जाते हुए दिखाई दिए। स्वतंत्र गवाहों, वाहन चालकों एवं अन्य व्यक्तियों के बयानों से भी अभियुक्तों द्वारा रची गई पूरी साजिश की पुष्टि हुई।

मुख्य अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

(1) पंकज उपाध्याय पुत्र महेन्द्र प्रसाद उपाध्याय निवासी गणेशरायपुर, थाना सुरियावां, जनपद भदोही का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 0071/2024, धारा 120बी/419/420/506/467/468/471 भादवि, थाना जौनपुर, जनपद भदोही।

2.मु0अ0सं0- 0345/2016, धारा 363/366/379डी भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना भदोही, जनपद भदोही।

3.मु0अ0सं0- 0257/2022, धारा 323/504/506/406/419/420/467/468/471 भादवि, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

4.मु0अ0सं0- 0039/2022, धारा 420/467/468/471/182/120बी भादवि, थाना चौरी, जनपद भदोही।

5.मु0अ0सं0- 0425/2025, धारा 406/420 भादवि, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

6.मु0अ0सं0- 0003/2026, धारा 138(4)/319(2)/317/229(2)/231/61(2) बीएनएस एवं 29(1) एनडीपीएस एक्ट, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

7.मु0अ0सं0- 0064/2025, धारा 195/198/389/418/420/467/469/471/474/120बी भादवि, थाना भदोही, जनपद भदोही।

(2) सुनील सरोज पुत्र राजेश सरोज निवासी बिछवनिया, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0- 003/2026, धारा 138(4)/319(2)/317/229(2)/231/61(2) बीएनएस एवं 29(1) एनडीपीएस एक्ट, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

2.मु0अ0सं0- 039/2022, धारा 420/467/468/471/182/120बी भादवि, थाना चौरी, जनपद भदोही।

3.मु0अ0सं0- 064/2025, धारा 195/198/389/418/420/467/469/471/474/120बी भादवि, थाना भदोही, जनपद भदोही

(3) प्रिंस गौतम उर्फ डॉक्टर पुत्र अमरनाथ निवासी दशरथपुर बयांव, थाना ऊंज, जनपद भदोही का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 003/2026, धारा 138(4)/319(2)/317/229(2)/231/61(2) बीएनएस एवं 29(1) एनडीपीएस एक्ट, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

2.मु0अ0सं0- 056/2016, धारा 279/337/338 भादवि, थाना ऊंज, जनपद भदोही।

मुख्य अभियुक्तों द्वारा लगातार विभिन्न आपराधिक षड्यंत कर के लोगों को फंसा कर गलत फायदा उठाया जा रहा था। जिसमें अभियुक्त द्वारा कराए गए फर्जी मुख्य मुकदमों का विवरण निम्न हैं –

01.मु 0अ0संख्या 39/2022 धारा 420/467/468/471/182/120बी भादवि, थाना चौरी, जनपद में पंजीकृत मुकदमा जिनसे अभियुक्त पंकज उपाध्याय ने आपराधिक सहयोगी सुनील पासी पुत्र राजेश पासी निवासी बिछियनिया थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज तथा करछना दूबे पुत्र अशोक दूबे निवासी ग्राम पाण्डेयपुर थाना नेवढ़िया जनपद जौनपुर के साथ मिलकर दिनांक 04.03.2022 को मु0अ0सं0 39/2022 धारा 392 भादवि थाना चौरी जनपद भदोही पर वादी करछना दूबे के माध्यम से फर्जी मोटरसाइकिल की लूट होने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया था। तहरीर के लेखक स्वयं पंकज उपाध्याय के पिता महेन्द्र उपाध्याय हैं। जिसमें विवेचना से यह पाया गया कि लूट दिखाकर फर्जी तरीके से इन्श्योरेन्स क्लेम करने के आशय से यह अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकरण में बाद विवेचना पंकज उपाध्याय, सुनील कुमार पासी तथा करछना दूबे आदि के विरुद्ध धारा 420/467/468/182/120बी/471 भादवि के अन्तर्गत साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 61/2022 दिनांक 27.07.2022 को किया गया है।

02.अभियुक्त पंकज उपाध्याय ने अपने साथी सुनील सरोज पुत्र राजेश सरोज निवासी ग्राम बिझवनिय थाना उतरांव जनपद प्रयागराज, उसके गांव पूजा सरोज पत्नी अरविन्द सरोज के साथ मिलकर षडयंत्र कर वादी मुकदमा के छोटे भाई लक्ष्मीशंकर उपाध्याय के विरूद्ध मु०अ०सं० 0349/2021 धारा 376/506 भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना भदोही जनपद भदोही पर पंजीकृत कराया था। इस मुकदमें में लक्ष्मीशंकर उपाध्याय जिला कारागार ज्ञानपुर में 09 माह तक निरूद्ध रहे। मा०न्या० अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट सं0 01 भदोही ने सत्र परीक्षण संख्या 25 सन् 2022 राज्य अभियोजन बनाम लक्ष्मीशंकर उपाध्याय पुत्र स्व० कालीचरण उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी गणेशरायपुर थाना सुरियावां जनपद भदोही में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), कोर्ट सं0-1, भदोही ने पाया कि वादिनी मुकदमा तथा पीड़िता का नाम तथा पता ही फर्जी था तथा पीड़िता की आयु के संबंध में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज दाखिल किया गया था जिसके आधार पर मा०न्या० द्वारा लक्ष्मीशंकर उपाध्याय को निर्दोष पाया।